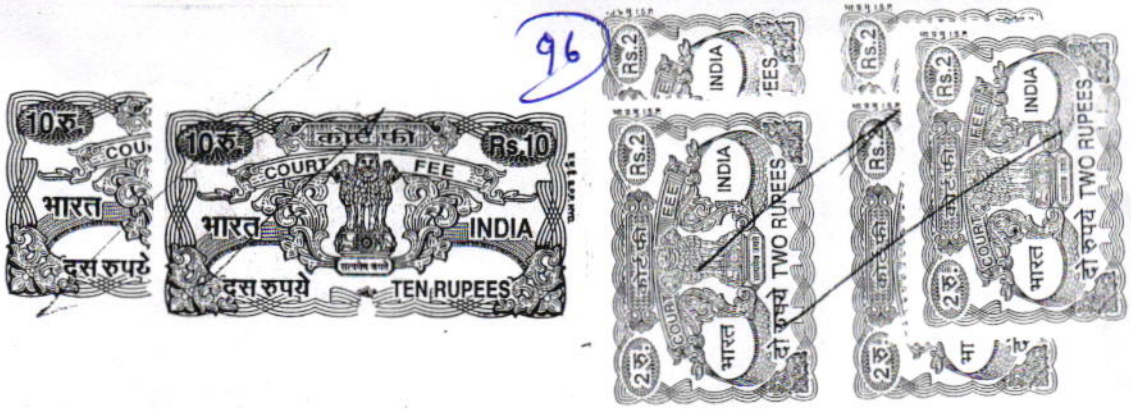

96

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर कैम्प सागर

निग-3006-I-16

बड़ीदुल्हन तनय नारायणदास
निवासी ग्राम ववेड़ी जंगल, तह. ओरछा,
जिला टीकमगढ़(म.प्र.) .....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदिका न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्र. 160/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22–08–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करती है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदिका को ग्राम ववेड़ी जंगल स्थित भूमि ख.नं. 5 एवं 25, 26 रकवा 0.718, 0.135, 0.793 कुल रकवा 1.745 हे0 प्रदान किया गया था तभी से आवेदिका विधिवत रूप से काबिज चली आ रही है। आवेदिका द्वारा अनेकों बार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर खसरा पांचसाला एवं वर्तमान कम्प्यूटर में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तथा पट्टा की मूल प्रति एवं दायरा रजिस्ट्रर की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की थी किंतु आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड का सुधार नहीं किया गया है इसी आधार पर आवेदक द्वारा न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत आवेदन राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु सम्पूर्ण मूल दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गई थी। तथा आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार ओरछा के समक्ष वर्ष 1980 में तथा 24.12.1990 को प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रस्तुत की थी। इस कारण प्रस्तुत आवेदन को अवधि बाह्य मान्य किए जाने का कोई आधार नहीं था इस कारण प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किए बिना सरसरी तौर पर प्रकरण का निराकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.3006-I/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-9-16	1— आवेदिका की ओर अधिवक्ता अजयं श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक160/बी—121/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 22—08—16 से विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदिका को ग्राम ववेड़ी जंगल स्थित भूमि ख. नं. 5 एवं 25, 26 रकवा 0.718, 0.135,0.793 कुल रकवा 1.745 हे0 का पट्टा प्रदान किया गया था तभी से आवेदिका विधिवत रूप से काबिज चली आ रही है। आवेदिका द्वारा अनेकों बार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर खसरा पांचसाला एवं वर्तमान कम्प्यूटर में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तथा पट्टा की मूल प्रति एवं दायरा रजिस्टर की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की थी किंतु आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड का सुधार नहीं किया गया है इसी आधार पर आवेदिका द्वारा न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त किए जाने से इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3— उन्होनें यह भी तर्क किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु सम्पूर्ण मूल दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की गई थी। तथा आवेदिका द्वारा विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार ओरछा के समक्ष वर्ष 1980 में तथा 24.12.90 को प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रस्तुत की थी। इस कारण प्रस्तुत आवेदन को अवधि बाह्य मान्य किए जाने का कोई आधार नहीं था आवेदिका को वर्ष 15.04.1974 में विधिवत रूप से पट्टा जारी किए जाने के उपरांत, तभी से आवेदिका काबिज चली आ रही है उसके द्वारा कृषि भूमि	

[कृ. प. उ.

निग० - 3006.I/16 (नजूल)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को आवाद कर उपजाऊ बनाकर उन्नत किया है काफी श्रम–धन खर्च किए जाने के उपरांत भी राजस्व अभिलेख में आवेदिका का नाम दर्ज न होने से वह शासकीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रही है। जिसके संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज निगरानी के साथ प्रस्तुत करते हुए उन्होनें निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 4– आवेदिका के तर्कों पर विचार किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदिका को नायब तहसीलदार ओरछा जिला टीकमगढ़ के प्र.क्र. 86/अ–19/1973–74 आदेश दिनांक 15.04.1974 को आवेदिका के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था दायरा पंजी वर्ष 1973–74 में आवेदिका बड़ीदुल्हन का नाम क्र. 86 पर दर्ज होने की पुष्टि पाई जाती है। आवेदिका द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष वर्ष 24.03.1980 एवं 24.12.1990 को राजस्व अभिलेख में नाम उल्लेखित किए जाने हेतु आवेदन दिया गया है। इस कारण कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण का निराकरण न कर निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं पाता हूँ। 5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.16 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार ओरछा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण क्रमांक 86/अ–19/1973–74 आदेश दिनांक 15.04.1974 के परिपालन में आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेख एवं कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	